

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 561]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 26, शक 1935

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 1-22-2013-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

1. विद्यमान अनुसूची क्रमांक 1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“अनुसूची क्रमांक-1
(नियम 5 देखिए)

अनु क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क-प्रशासन					
1	आयुक्त, लोक शिक्षण	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000 ग्रेड-पे	
(भारतीय प्रशासनिक सेवा)					
2	संचालक, लोक शिक्षण	03	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8900 ग्रेड-पे	
3	आयुक्त-सह-संचालक	01	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000 ग्रेड-पे	
4	अपर संचालक, लोक शिक्षण	07	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8700 ग्रेड-पे	
5	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	24	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
6	प्राचार्य, मनोविज्ञान तथा संदर्शन महाविद्यालय	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
7	संचालक, राज्य शिक्षा संस्थान, मध्यप्रदेश, भोपाल	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
9	संचालक, आंग्ल भाषा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
10	प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय (एम. एड. कक्षाओं रहित).	06	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
11	संयुक्त संचालक, सिस्टम	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
12	मुख्य लेखा अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600 ग्रेड-पे	
13	उप संचालक, लोक शिक्षण	96	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड-पे	
14	लोक शिक्षण संचालनालय में विज्ञान सलाहकर	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड-पे	
15	विज्ञान तंत्र विशेषज्ञ	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड-पे	
16	मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष	01	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड-पे	
17	सहायक संचालक, लोक शिक्षण	349	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
18	वित्त अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
19	प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	2660	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
20	प्राचार्य, पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थान	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
21	प्राचार्य, उच्च संस्कृत विद्यालय	05	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
22	प्राचार्य, शारीरिक शिक्षण तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय.	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
23	सहायक संचालक, लोक शिक्षण योजना	13	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
24	अधीक्षक, जीवाजी वेधशाला	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
25	प्राचार्य, हाईस्कूल	2945	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड-पे	
26	क्षेत्रीय शिक्षण अधिकारी (ए.ई.ओ.)	3286	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड-पे	
27	प्राचार्य, शासकीय हिन्दी विद्यापीठ, ग्वालियर	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
28	क्षेत्रीय ग्रन्थपाल	05	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
29	लोक शिक्षण संचालनालय में ड्राफ्ट्समेन	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
30	लेखाधिकारी/सहायक लेखा तथा वित्त अधिकारी.	56+1	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
31	सहायक सांख्यिकी एवं योजना अधिकारी	39	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
32	सहायक संचालक, शारीरिक शिक्षा	10	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
33	व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	5908	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
34	व्याख्याता, पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान	04	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
35	व्याख्याता, संस्कृत विद्यालय	08	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
36	व्याख्याता, हिन्दी विद्यापीठ, ग्वालियर	03	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
37	योग विभागाध्यक्ष	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
38	ए.एस.एल.ओ.	01	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
39	वरिष्ठ निज सहायक	07	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+4200 ग्रेड-पे	
40	संपादक	01	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ख-प्रशिक्षण संस्थान					
1	प्राध्यापक संवर्ग	71	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+6600 ग्रेड-पे	
2	सहायक प्राध्यापक	249	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400 ग्रेड-पे	
3	वरिष्ठ व्याख्याता	263	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	
4	व्याख्याता	407	द्वितीय श्रेणी	9300—34800+3600 ग्रेड-पे	

2. (एक) अनुसूची क्रमांक 2 में शीर्षक क-प्रशासन के अधीन अनुक्रमांक 6 में मद (3) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“(4)	वरिष्ठ निज सहायक	07	-	100 प्रतिशत	.”.

(दो) शीर्षक ख के अधीन “प्रशिक्षण संस्थाओं” में, टिप्पणी में, अनुक्रमांक (4) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“(4) सहायक संचालक, लोक शिक्षण संवर्ग में पदोन्नति के लिए प्रत्येक में एक पद सांख्यिकी तथा योजना, दृश्य-श्रव्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा एवं दो पद अधीक्षक तथा दो पद वरिष्ठ निज सहायक के लिए आरक्षित रहेंगे.”.

3. अनुसूची क्रमांक 4 में शीर्षक “क प्रशासन” के अधीन अनुक्रमांक 5 में मद ड के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :-

अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	पद के लिए अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

च. वरिष्ठ निज सहायक.	सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय.	5 वर्ष	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसका नामनिर्देशिती —अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा—सदस्य 3. आयुक्त-प्रथम श्रेणी लोक शिक्षण —सदस्य. 4. उप सचिव, स्कूल शिक्षा —सदस्य सचिव. 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जो आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य.
----------------------	------------------------------------	--------	--

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-01-22-2013-बीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-01-22-2013-बीस-1, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. चौकसे, उपसचिव.

Bhopal, the 17th December 2013

No. F-01-22-2013-XX-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Education Service (School Branch) Recruitment and Promotion Rules, 1982, namely :—

AMENDMENTS

1. For the existing schedule No. 1, the following schedule shall be substituted, namely :—

“SCHEDULE NO.1
(See rule 5)

S. No. (1)	Name of the Post (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Pay Scale (5)	Remark (6)
A-Administration					
1	Commissioner, Public Instruction	01	Class-1 I.A.S.	37400-67000+10000	Grade Pay
2	Director, Public Instruction	03	Class-I	37400-67000+8900	Grade Pay
3	Commissioner-Cum-Director	01	Class-I	37400-67000+10000	Grade Pay
4	Additional Director, Public Instruction	07	Class-I	37400-67000+8700	Grade Pay
5	Joint Director, Public Instruction	24	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
6	Principal, College of Psychology and Sandarshan.	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
7	Director, State Institute of Education M.P. Bhopal.	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
8	Director, State Institute of Science Education.	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
9	Director, English Language teaching Training Institute.	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
10	Principal, College of Education (without M. Ed. Classes.).	06	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
11	Joint Director, System	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Chief Accounts Officer	01	Class-I	15600-39100+7600	Grade Pay
13	Deputy Director, Public Instruction	96	Class-I	15600-39100+6600	Grade Pay
14	Science Advisor in D.P.I.	01	Class-I	15600-39100+6600	Grade Pay
15	Science System Expert	01	Class-I	15600-39100+6600	Grade Pay
16	Chief Librarian	01	Class-I	15600-39100+6600	Grade Pay
17	Assistant Director, Public Instruction	349	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
18	Finance Officer	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
19	Principal, Higher Secondary School	2660	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
20	Principal, Pre-middle Training Institute	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
21	Principal, Higher Sanskrit School	05	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
22	Principal, Physical Education and Training college.	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
23	Assistant Director, Public Instruction Planning.	13	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
24	Superintendent, Jivaji Vedhshala	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
25	Principal, High School	2945	Class-II	9300-34800+4200	Grade Pay
26	Area Education Officer (A.E.O.)	3286	Class-II	9300-34800+4200	Grade Pay
27	Principal, Government Hindi Vidhya Peeth Gwalior.	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
28	Regional Librarian	05	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
29	Draftsman in D.P.I.	01	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
30	Account Officer/Assistant Accountant and Finance Officer.	56+1	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
31	Assistant Statistics and Planning Officer	39	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
32	Assistant Director, Physical Education	10	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay
33	Lecturer, Higher Secondary School	5908	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
34	Lecturer, Pre-Primary training Institute	04	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
35	Lecturer, Sanskrit School	08	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
36	Lecturer, Hindi Vidhya Peeth Gwalior	03	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
37	Yog Vibhagadhyaksh	01	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
38	A.S.L.O.	01	Class-II	9300-34800+3600	Grade Pay
39	Senior Personal Assistant	07	Class-II	9300-34800+4200	Grade Pay
40	Editor	01	Class-II	15600-39100+5400	Grade Pay

B-Training Institute

1	Professor Cader	71	Class-II	15600-39100+6600 Grade Pay
2	Assistant Professor	249	Class-II	15600-39100+5400 Grade Pay
3	Senior Lecturer	263	Class-II	9300-34800+3600 Grade Pay
4	Lecturer	407	Class-II	9300-34800+3600 Grade Pay

2. (i) In Schedule No. 2, under the heading A-Administration, in Serial Numbers (6), after item (3), the following item shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“(4)	Senior Personal Assistant	07	-	100%	-.”.

(ii) Under the heading “Training Institutions”, in N. B. for serial number (4) and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“(4) For promotion to the cadre of Assistant Director, Public Instruction, one post each will be reserved for statistics and planning, Audio Visual Education and Physical Education and two post for superintendents and two post for Senior personal Assistant.”.

3. In Schedule No. 4. under the heading “A-Administration”, in serial number 5, after item E, the following item shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotion is to be made	Experience for the Post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	F-Senior Personal Assistant	Assistant Director Directorate of Public Instructions	5 Years	(1) Chairman, Public Service Commission or his nominee—Chairman. (2) Principal Secretary, School Education—Member (3) Commissioner-I Public Instruction—Member (4) Deputy Secy. School Education—Member Secretary (5) One Class-I Officer from Schedule Caste/Schedule Tribes Category to be nominated by the Commission —Member	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. CHAUKSEY, Dy. Secy.